

प्रोफॉर्म क
क्षतिपूर्ति बंध-पत्र
[नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में उपदान के दावे के लिए]
[नियम 24 देखिए]

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क) (ख)
.....जो दिवंगत (ग)
.....की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं
और..... के निवासी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बाध्यताधारी' कहा गया है) और
(घ)..... जोकी पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं औरके निवासी हैं और
..... जोकी पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और के निवासी हैं, जो
बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभू' कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिसे इसमें
इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय
.....रूपए (.....रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और
इसके पूर्ण तथा सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और
उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आवद्ध करते हैं।

आज तारीख..... मासदो हजार को हस्ताक्षरित।

और (ग) दिवंगत..... अपनी मृत्यु के समय सरकारी सेवा में था।

और उक्त (ग).....की मृत्यु तारीख मास..... 20..... को हुई तथा उसकी मृत्यु के समय
उसके अवयस्क पुत्र/पुत्री के अंश के लिएरूपए (.....रूपए मात्र) मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और बाध्यताधारी, उक्त (ग) के अवयस्क पुत्र/पुत्री के वास्तविक संरक्षक होने के नाते उक्त राशि का हकदार
होने का दावा करता है परंतु अब तक, कथित अवयस्क (अवयस्कों) के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय से संरक्षक होने का प्रमाणपत्र
प्राप्त नहीं किया है।

और बाध्यताधारी ने (ड.)..... का समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त धनराशि पाने का हकदार है और यह कि
उक्तरूपए की राशि के भुगतान से पहले यदि बाध्यताधारी को सक्षम न्यायालय से संरक्षक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत
करने की आवश्यकता पड़ती है तो उससे अनुचित देरी और कठिनाई होगी।

और सरकार को बाध्यताधारी को उक्त राशि का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सरकारी नियमों और आदेशों के अधीन
बाध्यताधारी के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग) को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के
दावों के लिए सरकार को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिभू/दो प्रतिभूओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभूओं, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो
गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के पश्चात्, पूर्वोक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में बाध्यताधारी और/ या प्रतिभूओं..... रूपए की उक्त राशि सरकार को
लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और उक्त दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के

संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के अधीन कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभूओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टॉप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू/प्रतिभूओं ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.

2.

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित

1.

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(गवाह का नाम व पदनाम) की उपस्थिति में.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निर्देशित या प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

- टिप्पण 1. (क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम और पता
(ख) दिवंगत कर्मचारी से बाध्यताधारी का संबंध
(ग) दिवंगत सरकारी कर्मचारी का नाम
(घ) पिता/पति का पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभूओं का पूरा नाम
(ङ.) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का नाम

टिप्पण 2. इस बंधपत्र के वैध या बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभूवयस्क हो चुके हों।

PROFORMA- A

INDEMNITY BOND

[For claim of gratuity when nominee is minor]

[See rule 24]

KNOW ALL MEN by these presents that we (a)
(b) the widow/son/brother, etc., of (c)
..... deceased, resident of
(hereinafter called "the Obligor") and (d)
son/wife/daughter of.....resident of
.....and son/wife/daughter
..... resident of
..... the sureties for and
on behalf of the Obligor (hereinafter called "the Sureties") are held firmly bound to the President of India (hereinafter called "the Government") on the sum of Rs. (Rupees only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed thisday oftwo thousand and

WHEREAS (c) was at the time of his death in the employment of the Government.
AND WHEREAS the said (c) died on theday
of 20 and there was due to him at the time of his death the sum of Rs(Rupees
..... only) for and towards share of his minor son/daughter in the
death/retirement gratuity.

AND WHEREAS the Obligor claims to be entitled to the said sum as de facto guardian of the minor son/daughter of the said (c) but has not obtained till the date of these presents the certificate of guardianship from any competent Court of Law in respect of the said minor(s).

AND WHEREAS the Obligor has satisfied the (e) that he/she is entitled to the aforesaid sum and that it would cause undue delay and hardship if the Obligor be required to produce the certificate of guardianship from the competent Court of Law before payment to him of the said sum of Rs.

AND WHEREAS the Government has no objection to the payment of the said sum to the Obligor but under Government rules and Orders, it is necessary for the Obligor to first execute a bond with one surety/two sureties to indemnify the Government against all claims to the amount so due as aforesaid to the said (c) before the said sum can be paid to the Obligor.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety/Sureties have agreed to execute the Bond in the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that, if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and /or the Surety/Sureties shall in the event of a claim being made, by any other person against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs.refund to the Government the said sum of Rs.and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and all costs incurred in consequence of the claim thereto THEN the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties, shall but for this provision have the effect of so releasing the Surety/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above-written.

Signed by the above named 'Obligor' in the presence of

1.

2.

Signed by the above named 'Surety'/'Sureties'

1.

2.

Accepted for and on behalf of the President of India by

.....

[Name and designation of the Officer directed or authorised, in pursuance of Article 299 (1) of the Constitution, to accept the Bond for and on behalf of the President] in the presence of

.....

.....

(Name and designation of witness)

NOTE I.

(a) Full name of the claimant referred to as the 'Obligor'.

(b) State relationship of the Obligor to the deceased.

(c) Name of the deceased Government Officer.

(d) Full name or names of the Sureties with name or names of the father(s)/husband(s) and place of residence.

(e) Designation of the officer responsible for payment.

NOTE II. The Obligor as well as the Sureties should have attained majority so that the bond may have legal effect or force.